न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 53/19

1. सुरज्ञान पुत्र सुखदेवा
2. रामचरण पुत्र नैनजी
3. रामकेश पुत्र नैनजी जातियान गुर्जर निवासीयान सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. बरफी पुत्री नैनजी पत्नि रूपनारायण पुत्र बदरी जातियान गुर्जर निवारीयान ग्राम सुनारी हाल निवासी ग्राम हलोन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. केसन्ती पुत्री नैनजी पत्नि काशीराम जाति गुर्जर निवारी सुनारी हाल फरिया तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटन्स

बनाम

1. रामनिवास पुत्र गंगाविशन
2. सीताराम पुत्र रामनिवास
3. छाजूराम पुत्र रामनिवास
4. रूप सिह पुत्र रामनिवास समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 81/17 निर्णय दिनांक 10.10.19)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की और से श्री विनोद अग्रवाल
2. रेस्पोडेंटान की और से श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

निर्णय

दिनांक 17.3.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 81/17 निर्णय दिनांक 10.10.19 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि हाल ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 किस्म चाही 3 वाके ग्राम सुनारी तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 139 मे स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी न0 1 ने 25 वर्ष पूर्व शामिल मे हाल ख0न0 531 मे नवीन पुख्ता चाही का निर्माण कराया था। पुख्ता चाह हाल ख0न0 531 मे होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर पुख्ता चाह का नवीन ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया। प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा की ओर ख0न0 [illegible] 0.81 है0 किस्म चाही 3 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि है। अप्रार्थी सख्त प्रभावशाली व्यक्ति है। कानून को हाथ मे लेकर बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 एवं पुख्ता चाह ख0न0 531 मे बना हुआ है को हडपने के उद्देश्य से दिनांक 30.9.17 को प्रार्थीगण बाजरे की फसल को काटकर इक्ठठा कर रहे थे उसी समय प्रार्थीगण हाथो मे लाठी डण्डे लेकर आ गये एवं जबरदस्ती प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

स्वामित्व की भूमि मे फेंसिंग करने को आमादा हो गये। प्रार्थीगण ने एवं पडौसी खेत वालो ने भी अप्रार्थीगण को समझाया की मौके पर पटवारी हल्का सुनारी को बुलाकर खेतो को नपवा लो उसके वाद ही तार फेंसिंग करना, लेकिन अप्रार्थीगणो ने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियो की एक बात भी नही मानी एवं झगडा करने पर आमादा हो गये। अप्रार्थी संख्या 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने बराये चालाकी से प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि ख0न0 531 मे स्थित पुख्ता चाह को स्वयं के नाम दर्ज करवा लेने के कारण अप्रार्थीगण के हौसले बढ जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से इस आशय की घोषणा हेतु दावा पेश करना आवश्यक हुआ है कि प्रार्थीगण ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 मे स्थित पुख्ता चाह ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के 1/2 हिस्से मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज करवाने के लिये न्यायालय की शरण लेकर घोषणा करवाने के लिए दवा पेश करना लाजमी हुआ। क्योकि प्रार्थीगण पुख्ता चाह का निर्माण हुआ तभी से ख0न0 531 की भूमि से पिलाई करते आ रहे है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 मे व्यवधान पेदा करने के कारण अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। प्रार्थीगण विवादित भूमि ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण प्राईमाफेसाई केस प्रार्थीगण के पक्ष मे बखूबी साबित है। अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम सुनारी मे स्थित भूमि ख0न0 531 रकबा 0.63 है मे स्थित पुख्ता चाह ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 के कब्जे काश्त मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे एवं पुख्ता चाह से खेतो की पिलाई करने मे भी व्यवधान पैदा नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 531 व 531/1627 राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 532 रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 531/1627 गैर मुमकिन चाह है जिसमे अपीलांट ने आधे हिस्से का पैसा लगाकर चाह का निर्माण कराया है। खसरा गिरदावरी वम्वत 2072 से

Scanned by CamScanner

2075 मे ख0न0 531 मे सिचाई ख0न0 531/1627 गैर मुमकिन चाह से बताई गई है। जिससे साबित होता है कि हम अपनी खेत खातेदारी न0 531 की पिलाई इस कुऐ से करते है। कानूनन किसी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश व अन्य आदेश पारित नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने कतई बेग व अस्पष्ट आदेश दिया है जबकि उन्हे हमारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करना चाहिए था एवं प्रतिवादीगंण का काउन्टर क्लेम खारिज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम प्रांरभिक तौर पर पोषनीय नही था क्योकि हमारा दावा व दर0 केवल ख0न0 531 एवं चाह ख0न0 531/1627 तक ही सिमित था। प्रतिवादीगण ने जो अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है उसके पुराने बंटवारे व ख0न0 528,532,265 पुराना का भी हवाला देते हुए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जो कि हमारे दावे की विषय वस्तु से बाहर है। क्योकि काउन्टर क्लेम हमारे दावे के ख0न0 तक सिमित रह सकता है बाहर की वस्तु या नम्बरान का काउन्टर क्लेम पेश नही हो सकता है। इसलिए काउन्टर क्लेम प्रांरभिक तौर पर पोषनीय नही था काउन्टर क्लेम मे प्रतिवादीगणो ने अपने भाईयो से अदला बदली एवं अन्य भाईयो से अदला बदली एवं बंटवारे का भी हवाला दिया है जो ख0न0 528 अन्य भाईयो के बारे मे है जो हक इसमे पक्षकार नही है। इस प्रकार काउन्टर क्लेम प्रांरभिक तौर पर पोषणीय ही नही था। रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.9.18 को आर्डर 26 रूल 9 का पेश किया था जिसका जबाब हमने दिनांक 29.10.18 को प्रस्तुत किया था। जिसके बारे मे अधिनस्थ न्यायालय ने कोई प्रभावी निर्णय नही दिया है। जबकि कोई भी मौका रिपोर्ट साक्ष्य इकठठा करने या रेवेन्यू रिकार्ड मे के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए नही मंगवाई जाती है। हमने जबाब दर0 मे मौका रिपोर्ट तलब कराने के बारे मे मना किया था हमने या हमारे वकील ने दिनांक 17.12.18 को मौका रिपोर्ट तलब कराने बाबत तथ्यो को स्वीकार नही किया इसके अलावा भी हमारा जबाब दरख्वास्त स्पष्ट था कि हमारा कब्जा है हम खातेदार है एवं रेस्पो0 प्रतिवादीगण हमारी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका रिपोर्ट नही मंगवाई जा सकती है। हमारी खातेदारी के खेत ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 मे अभी हम अपीलांटान ने एक माह पहले अमरूद के पौधे लगाये है हमारी खातेदारी के खेत हमने अलग से तार फेंसिंग कर रखी एवं हमारा कब्जा है। विधुत कनेक्शन व कुए के निर्माण मे आधी लागत लगाई है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इल लीगल इम्प्रोपर एवं कानूनी प्रावधानो के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। ख0न0 531 के सम्पूर्ण रकबे व 531/1627 के गैर मुमकिन चाह के आधे हिस्से पर हमारा व वैधानिक कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय को हमारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना चाहिए था एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर टी आई खारिज करना चाहिए था। कानूनन कोई भी स्वीकृति स्पष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए यही कानून की मंशा है। रेस्पो0 की जबावदेही विरोधाभासी है। कही प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा बताते है कही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का बताते है जबाब दावा सभी का एक ही है। हमारे वकील ने आर्डर 26 रूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

9 सीपीसी मे लिखे तथ्यो मे कभी स्वीकार नही किया न हमने अधिकृत किया। वाद मे गलत हवाला देकर आर्डर शीट मे लिखा गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता बहस मे तर्क दिया कि प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 ग्राम सुनारी के निवासीयान नही है। रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 पिता पुत्र है जो ग्राम सुनारी के निवासीयान होकर काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 एक ही कुटुम्ब के बंशज होकर आपस मे भाई बंध है। जो कि मृतक मांगीलाल के बंशज है, मांगीलाल के कुल चार लडके गंगाविशन,मोती,धन्ना व सुखदेवा थे। जिनमे गंगाविशन करीब 50 वर्ष पूर्व, मोती करीब 45 वर्ष पूर्व एवं धन्ना करीब 40 वर्ष पूर्व तथा सुखदेवा करीब 15 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है। गंगाविशन के दो पुत्र रामप्रसाद व अप्रार्थी संख्या 1 रामनिवास हुये जिनमे रामप्रसाद भी करीब 13–14 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। रामप्रसाद के वारिसान उसके पुत्रगण कैलाश, बृजमोहन व मुरारी है। उसी प्रकार मोती का विवादित जमीन मे 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी के भाई रामप्रसाद द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया था। धन्ना जो करीब 40 साल पहले फौत हुआ था उसने रामप्रसाद के पुत्र मुरारी को गोद लिया था। धन्ना की मृत्यु के बाद उसकी सम्पूर्ण जमीन मुरारी व धन्ना की औरत रामनाथी के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई। रामनाथी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस बृजमोहन ,मुरारी व कैलाश है। सुखदेवा के दो पुत्र नैनजी व सुरज्ञान है। नैनजी के वारिसान प्रार्थी संख्या 2 ता 5 है। इस प्रकार प्रार्थीगण सुखेदवा के वारिसान है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 मृतक गंगाविशन के वारिसान है। ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 गलत रूप से वर्तमान सेटलमेंट मे प्रार्थी न0 1 व 2 ता 5 के पिता नैनजी के नाम दर्ज हुई है। जबकि इस भूमि से प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। और ना ही मौके पर प्रार्थीगण का कभी वास्ता रहा है। बल्कि यह भूमि शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की उनके पिता गंगाविशन के समय से चली आई कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमि रही है। विवादित भूमि का करीब 60 वर्ष पूर्व साबिक ख0न0 265 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा सहित सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की सम्पूर्ण भूमि का आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो गया था तब से ही सम्पूर्ण भूमि पर मौके पर काविज काश्त करने लगे है। वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख0न0 265 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा उक्त चारो भाईयो की सहखातेदारी मे बहिस्सा बराबर दर्ज था। मौखिक बंटवारे के अनुसार ख0न0 265 मे दक्षिण पूर्व कोने की ढाई बीघा भू[illegible]संख्या 1 के पिता गंगाविशन के हिस्से व कब्जे काश्त की थी तथा उसके [illegible] पर ढाई बीघा जमीन प्रार्थी न0 1 के पिता सुखदेवा के [illegible] थी तथा उसी प्रकार उत्तर की तरफ की शेष 5 बीघा भूमि मोती व धन्ना [illegible] हिस्से व कब्जे काश्त की थी। विवादित भूमि के साबिक ख0न0 265 मे मोती के हिस्सा 1/4 भाग को अप्रार्थी संख्या 1 रामनिवास एवं उसके खास भाई रामप्रसाद ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

था। जिस कारण उसका 1/4 भाग भी रामप्रसाद व रामनिवास के स्वामित्व एवं कब्जे का हो गया। और इस प्रकार रामप्रसाद व रामनिवास का उक्त भूमि मे 1/2 भाग हो गया शेष 1/4 भाग सुखदेवा का तथा 1/4 भाग धन्ना का रहा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आज से करीब 30 वर्ष पूर्व उक्त खसरा न0 265 मे अपने पिता के हिस्से व कब्जे काश्त मे अपने खर्चे से पुख्ता चाह का निर्माण कराया था। जिसमे पानी की कमी आने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने उसमे बोर करवा लिया। तथा 2009 मे बिजली का कनेक्शन के लिए फाईल लगा दी जिसका डिमाण्ड नोटिस जमा करवा दिया परन्तु बरसात अधिक होने के कारण तार खिचने से रह गये। सेटलमेंट प्रकिया सम्पन्न होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 रामनिवास व उसका भाई रामप्रसाद के पुत्रो कैलाश बृजमोहन व मुरारी के मध्य आपसी सहमति से मौके पर भूमि का बंटवार होकर अदला बदली कर ली गई थी। जिसके अनुसार आपसी सहमति से सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि दर्ज कर दी गई। जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की कुल साढे सात बीघा भूमि हो गई शेष ढाई बीघा जमीन प्रार्थीगण की रही। भूमि ख0न0 265 के वर्तमान ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह , 531 रकबा 0.63 है0 एवं 532 रकबा 0.81 है0 व 528 रकबा 0.92 है0 बने है। जिसमे ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 की खातेदारी प्रार्थी सुरज्ञान एवं नेनजी के नाम तथा शेष भूमि गैर मुमकिन चाह 531/1627 रकबा 0.01 है0, 532 रकबा 0.81 है0, 528 रकबा 0.92 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 है0 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि कुल साढे सात बीघा भूमि का रकबा 1.89 है0 दर्ज होना चाहिए था। लेकिन उपरोक्तानुसार रिकार्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 0.15 है0 भूमि कम दर्ज हुई। चूकि साबिक ख0न0 265 रकबा 10 बीघा 1 विस्वा मे दक्षिण पूर्व की तरफ के कोने की ढाई बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से व कब्जे काश्त की होने से अप्रार्थी संख्या 1 ने उसमे अपने खर्चे से पुख्ता चाह का निर्माण कराया था। सेटलमेंट वालो ने उसका ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0न0 265 रकबा 10 बीघा 1 विस्वा भूमि के नवीन ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह एवं ख0न0 531 रकबा 0.63 है0, 532 रकबा 0.81 है0 व 528 रकबा 0.92 है0 बनाये है उनमे ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 तथा 532 रकबा 0.81 है0 को मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी मे दर्ज न कर गलत रूप से दर्ज कर दिया। चूकि: ख0न0 265 के दक्षिणी पूर्वी कोने के ढाई बीघा भाग पर शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] चला आ रहा है। जिसका वर्तमान ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 व गै[illegible] बना है। जिसमे गैर मुमकिन चाह ख0न0 531/1627 [illegible] सही रूप [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया है तथा [illegible] को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज न कर मौके विपरीत प्रार्थी सुरज्ञान एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता नैनजी के नाम दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण/अपीलांटान के मन मे सेटलमेंट हुए गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 की जमीन को हडपने की बदयान्ति पैदा हो गई तथा उन्होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रिकार्ड को दुरूस्त कराने के बजाय ख0न0 531 सम्पूर्ण को अपनी होना बताकर अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांटान द्वारा गैर मुमकिन चाह मे 1/2 भाग अपना होना बताकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। सेटलमेंट ने ख0न0 531 अपीलांट के नाम व ख0न0 531/1627 को रेस्पो0 के नाम लगाया। ख0न0 531 पर लम्बे समय से ही रेस्पो0 का कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय मे काउन्टर क्लेम ख0न0 531 बाबत पेश किया था। ख0न0 531/1627 पर विधुत कनेक्शन रेस्पो0 द्वारा ही लिया गया है। मौके पर ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 ख0न0 532 रकबा 0.18 है0 , ख0न0 528 रकबा 0.92 है0 का चक बनाकर तारो की फेंसिंग कर रखी है। दिनांक 11.09.18 को अधिनस्थ न्यायालय मे मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.18 को स्वीकार किया गया है। जिस पर वकील प्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार जो तथ्य स्वीकार कर लिये जाते है उनको साबित करने की आवश्यकता नही होती है। दो गवाहो के शपथ पत्र पेश किये गये है। जो 15 साल पूर्व की तार फेंसिंग बता रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को विधि अनुरूप पाबन्द किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। न्यायिक दृष्टांत Evidence Act धारा 58, 2014 (2) सी.सी.सी. पेज 589, 1995 डी.एन.जे.(राज) पेज 286 , 2019 (2) सी.सी.सी. पेज 27 व 28 , 1989 डब्लू एल एन प्रथम (रेवेन्यू) पेज 310, 1988 डब्लू एल एन प्रथम (रेवेन्यू) पेज 351 पेश किये है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपींलाट द्वारा उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 10.10.19 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.9.18 को अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि "विवादित भूमि गैर मुमकिन चाह ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 एवं ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 तथा ख0न0 531 के अटेच ख0न0 532 के 0.18 है0 भाग पर तथा ख0न0 528 रकबा 0.92 है0 को मौके पर हम अप्रार्थीगण ने एक चक कर रखा है तथा चारो ओर तार फेंसिग कर रखी है। जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त व उपभोग उपयोग चला आ [illegible] ख0न0 532 मे शेष बची हुई पश्चिम दक्षिण कोने की 0.63 है0 भूमि पर प्रार्थीगण का [illegible] काश्त है। मौके की जॉच कर मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से मंगाई जावे। दिनांक 17.12. 18 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। जिसमे प्रार्थना पत्र के [illegible] यो को प्रार्थी वकील द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण मौका रिपोर्ट मंगवाने की आवश्यकता नही मानी गई है। पक्षकारो के मध्य विचारण न्यायालय मे वाद जेरकार है। जिसमे अधिकारों का निर्धारण किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जाना शेष है। तहत न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के पक्षकारान को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि आराजी ख0न0 531 रकबा 0.63 है0 , ख0न0 531/1627 रकबा 0.01 है0 एवं ख0न0 532 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम सुनारी तहसील सवाई माधोपुर की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 81/17 निर्णय दिनांक 10.10.19 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.3.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17.3.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner